आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा (1983)2

/

20 जनवरी, 1983 के लिए तय की गई और राज्य सरकार बिना समय बर्बाद किए ट्रस्ट का गठन करने की इच्छुक है, हम आदेश देते हैं कि नगर समिति, बटाला के सदस्यों की बैठक 4 मई, 1983 को सुबह 11.00 बजे होगी। नगरपालिका समिति के कार्यालय में जहां आम तौर पर बैठकें आयोजित की जाती हैं और बैठक का एजेंडा अधिनियम की धारा 4(3) के तहत ट्रस्ट के लिए नगरपालिका समिति के तीन सदस्यों का चुनाव करना होगा। नगरपालिका समिति के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है और उन्हें अपने वकील के माध्यम से उपरोक्त बैठक के लिए नगरपालिका समिति के सभी सदस्यों को एजेंडा जारी करने और नोटिस देने का निर्देश दिया जाता है। 25 सदस्यों में से केवल छह ही इस रिट याचिका के पक्षकार हैं, अन्यथा सदस्यों को नोटिस जारी करने की औपचारिकता से भी छुटकारा मिल गया होता। यह अध्यक्ष, नगरपालिका समिति का एकमात्र कर्तव्य और जिम्मेदारी होगी, यदि वह यह सुनिश्चित करते हैं कि नगरपालिका समिति के सभी सदस्यों को नोटिस दिया जाए।

एन.के.एस.

एस.एस. संधावालिया, सी.जे. एवं एस.एस. कांग, जे. से पहले।

लाल चंद और अन्य - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य-प्रतिवादी।

1981 की आपराधिक विविध संख्या 3837-एम।

20 अप्रैल, 1983.

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का द्वितीय) - धारा 193. 227 और 228 - ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्तियों में से एक जिसे पुलिस ने सुनवाई के लिए नहीं भेजा - मजिस्ट्रेट दूसरे आरोपी को सत्र न्यायालय - सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई के लिए सौंपता है - क्या पुलिस द्वारा छोड़े गए व्यक्ति को बुलाने और बिना कोई साक्ष्य दर्ज किए उसके मुकदमे का निर्देश देने की शक्ति है - सत्र न्यायालय द्वारा एक अतिरिक्त आरोपी को बुलाना - क्या संहिता की धारा 193 द्वारा वर्जित है।

यह माना गया कि एक वारंट मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के साथ-साथ एक सत्र न्यायालय ने एक बार पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का वैध रूप से संज्ञान लिया है (जब आरोप तय करने के लिए उसके सामने सामग्री पर विचार किया जाता है), न केवल हकदार है बल्कि वास्तव में कर्तव्य भी है। यदि वह अस्तित्व से पूरी तरह संतुष्ट है तो किसी व्यक्ति को उसके समक्ष मुकदमा चलाने के लिए आरोपी के रूप में बुलाने के लिए बाध्य है

एक अतिरिक्त अभियुक्त के ख़िलाफ़ प्रथम दृष्टया मामला, जिसे इस तरह ऊपर नहीं भेजा गया हो। सत्र न्यायालय में किसी आरोपी की प्रतिबद्धता के संबंध में भी यही स्थिति है, भले ही ऐसे व्यक्ति को जांच एजेंसी द्वारा आरोपी के रूप में नहीं भेजा गया हो। एक बार ऐसा हो जाने पर, इसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता

यह मानते हुए कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 और 228 के तहत समान और किसी भी मामले में समान शक्तियों के तहत, सत्र न्यायालय को एक अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, जिसे अदालत द्वारा नहीं भेजा गया है। जांच एजेंसी या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबद्ध नहीं. वास्तव में, एक वरिष्ठ न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायाधीश के पास समान स्थिति में मजिस्ट्रेट की तुलना में व्यापक शक्तियां नहीं तो समान होंगी और जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए। यह मानना पूरी तरह से असंगत लगता है कि सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय मामले में मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को संहिता की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुला सकता है और उसे मुकदमे के लिए सौंप सकता है। , फिर भी उच्च सत्र न्यायालय, जो अपराध का संज्ञान लेता है और उस पर मुकदमा चलाना है, स्वयं को ऐसा करने से पूरी तरह से रोक देगा। यदि यहां कोई भी भेद उत्पन्न होता है, तो शायद यह कहा जा सकता है कि सत्र न्यायालय की शक्तियां मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक व्यापक हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ हद तक समान स्थिति में, और अंतिम में समान सामग्रियों पर विचार करें। रिपोर्ट, सत्र न्यायालय वह नहीं कर सकता जो कमिटिंग मजिस्ट्रेट निस्संदेह कर सकता है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है जो स्पष्ट रूप से अस्थिर है। यहां तक कि प्रक्रियात्मक प्रावधानों से परे, बड़े सिद्धांत पर भी, किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए बुलाने से उच्च सत्र न्यायालय की शक्तियों को रोकने और बाध्य करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है, जब उसके समक्ष सामग्री हो। संतुष्ट है कि उसके खिलाफ कोई निर्णायक या किसी भी मामले में प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। इसलिए, यह माना जाता है कि सत्र न्यायालय, साक्ष्य दर्ज किए बिना, धारा 173 के तहत जांच अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट में दस्तावेजों के आधार पर एक अतिरिक्त आरोपी को पहले से ही प्रतिबद्ध अन्य लोगों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुला सकता है। संहिता की धारा 227 और 228 के प्रावधानों को देखें।

* (पैरा 5, 6, 7 और 13)।

यह माना गया कि मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को जो सौंपा गया है वह मुकदमा या अपराध है, न कि व्यक्तिगत अपराधी। धारा 193 के तहत कानून अब जो कल्पना और प्रावधान करता है वह यह है कि अपराध का गठन करने वाली पूरी घटना का संज्ञान सत्र न्यायालय द्वारा प्रतिबद्धता पर लिया जाना चाहिए, न कि यह कि प्रत्येक व्यक्तिगत अपराधी को ऐसा प्रतिबद्ध होना चाहिए या यदि ऐसा है तो ऐसा नहीं किया गया तो सत्र न्यायालय उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में शक्तिहीन हो जाएगा जिनके बारे में यह पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है कि वे भी अपराध के लिए प्रथम दृष्टया दोषी हैं। एक बार मामला प्रतिबद्ध हो जाने के बाद, धारा 193 की बाधा हटा दी जाती है या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो, यह शर्त पूरी हो जाती है कि सत्र न्यायालय को अपराध के किसी भी व्यक्तिगत आरोपी को बुलाने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र मिल जाता है। इसलिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि सत्र न्यायालय द्वारा एक अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाना संहिता के अनुच्छेद 193 का उल्लंघन है। (पैरा 9).

बलविंदर सिंह और अन्य लोग। पंजाब राज्य,. 1981 पी.एल.आर. 685.

खारिज कर दिया गया।

(अदालतों के मार्गदर्शन के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 193, 227 और 228 की आधिकारिक व्याख्या के लिए माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग द्वारा 14 सितंबर, 1981 को मामला एक बड़ी पीठ को भेजा गया था। बड़ी पीठ में शामिल हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश एस.एस. संधावालिया और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग ने प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर देने के बाद 20 अप्रैल, 1983 को मामलों को फिर से योग्यता के आधार पर निर्णय के लिए संबंधित पीठों को भेज दिया।

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका प्रार्थना करते हुए कि विद्वान अतिरिक्त प्रथम सत्र न्यायाधीश, दिनांक 6 अगस्त, 1981 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को कृपया रद्द कर दिया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील ए.एस. नेहरा।

राज्य के लिए बी.एस.पवार, ए.ए.जी.

शिकायतकर्ता के वकील एच.एस.हुड्डा।

प्रलय

एस.एस. संधावालिया, सी.जे.

1) क्या सत्र न्यायालय स्वयं साक्ष्य दर्ज किए बिना, जांच की अंतिम रिपोर्ट में दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति को (मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबद्ध अन्य लोगों के साथ) आरोपी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए बुला सकता है? डिवीजन बेंच द्वारा निर्णय के लिए भेजे गए चार मामलों के इस सेट में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत अधिकारी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। समान रूप से मुद्दा इस न्यायालय के भीतर अमर सिंह, आदि बनाम पंजाब राज्य (1) और रणधीर सिंह बनाम काला सिंह और अन्य, (2) और बलविंदर सिंह और अन्य बनाम मामले में एकल पीठ के विचारों की कुछ असहमति है। .पंजाब राज्य, (3) दूसरी ओर.

मैं

2) जैसा कि आईएएसए ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तथ्य प्राथमिक रूप से कानूनी हैं, परिणामस्वरूप तथ्य सापेक्ष महत्वहीन हो जाएंगे। इसलिए 1982 के आपराधिक विविध संख्या 3837 - लाई चंद बनाम हरियाणा राज्य से इसकी एक कंकाल पृष्ठभूमि पर्याप्त होगी। यह घटना 27 अगस्त, 1980 को सुबह लगभग 8.30 बजे ट्रक यूनियन, सोनीपत के कार्यालय में घटी। 27 तारीख को पुलिस द्वारा पार्टियों के खिलाफ क्रॉस-मामले दर्ज किए गए थे

(1) सी.आर.एल. एम. 4220 सन् 1977 का निर्णय 18 नवम्बर 1977 को हुआ।

(2)1972 पी.एल.आर.286.

(3)1981 पी.एल.आर.685.

30 अगस्त, 1980. पीड़ितों में से एक. अपराध में राम कुमार की चोटों के कारण मृत्यु हो गई - बाद में 2 सितंबर 1980 को और परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामले को सहायक अपराधों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एक में बदल दिया गया। जांच के बाद, छह आरोपियों सतिंदर कुमार, सूबे सिंह, आज़ाद सिंह, राजबीर, हुकम चंद और हवा सिंह को उक्त अपराध के लिए पुलिस ने चालान कर दिया, हालांकि, जांच में कथित तौर पर ट्रक यूनियन के अध्यक्ष लाल चंद को दोषी पाया गया। निर्दोष इस आधार पर कि घटना के समय वह किसी चिरंजी लाल के एक आवेदन के सिलसिले में पुलिस स्टेशन में था। मजिस्ट्रेट ने, क्षेत्राधिकार रखते हुए, जांच एजेंसी के निष्कर्षों के आधार पर लाल चंद को छोड़कर, उपरोक्त छह आरोपियों को सत्र न्यायालय में सुनवाई के लिए भेज दिया। सत्र न्यायालय के समक्ष, शिकायतकर्ता भरत सिंह ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मामले में मुकदमा चलाने के लिए लाल चंद को भी एक आरोपी व्यक्ति के रूप में बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया। 6 अगस्त, 1981 को अपने विस्तृत आदेश में, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सोनीपत ने अन्य बातों के साथ-साथ लाल चंद को अन्य सह-अभियुक्तों के साथ कठघरे में खड़ा करने के लिए मामले में एक आरोपी के रूप में बुलाया। उन्होंने कहा कि चूंकि सभी घायल चश्मदीदों ने पुलिस के समक्ष स्पष्ट रूप से बयान दिया था कि कथित अपराध के लिए लाल चंद शामिल था, इसलिए उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट रूप से बनता है और उसके द्वारा अन्यत्र गुजारा भत्ता की दलील उसे निर्णायक रूप से दोषमुक्त नहीं कर सकती। शुल्क। विद्वान न्यायाधीश ने राय दी कि भले ही सख्ती से धारा 319 के प्रावधान लागू नहीं होते, फिर भी उनके पास दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 और 228 के तहत लाल चंद याचिकाकर्ता के खिलाफ भी समन करने और आरोप तय करने की शक्ति थी। मूल निर्भरता रणधीर सिंह के मामले पर रखी गई थी (सुप्रा)

3. इस मामले की सुनवाई मूल रूप से मेरे विद्वान भाई एस.एस. कांग जे ने की थी। उनसे पहले अमर सिंह के मामले और रणधीर सिंह के मामले (सुप्रा) में दृष्टिकोण की शुद्धता पर अलग-अलग विचारों वाले बाद के निर्णयों के आधार पर गंभीर रूप से हमला किया गया था। इस मुद्दे पर न्यायिक राय के विरोधाभास को देखते हुए, मेरे विद्वान भाई कांग, जे. ने अपने सुस्पष्ट और विस्तृत संदर्भ आदेश द्वारा मामले को एक आधिकारिक निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया। अन्य तीन जुड़े हुए मामलों को समान कारणों से संदर्भित किया गया है।

4. चूँकि किसी अभियुक्त को आरोप मुक्त करने या दोषी ठहराने की सत्र न्यायालय की शक्ति के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद 'संहिता' कहा जाएगा) की धारा 227 और 228 पर प्रस्तुतकर्ता का मूल रुख बताता है। उनके विरुद्ध आरोप के आरंभ में ही इन प्रावधानों को उद्धृत करना उचित होगा। हालाँकि, जैसे-जैसे तर्क संहिता की धारा 239 और 240 के साथ इन प्रावधानों की सादृश्यता पर काफी हद तक मुड़ता है, एक वारंट के परीक्षण में एक समान, यदि समान नहीं तो आरोपमुक्त करने या किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करने की शक्ति से संबंधित है। एक मजिस्ट्रेट द्वारा मामले में, संबंधित प्रावधानों को एक दूसरे के विरुद्ध रखना आवश्यक हो जाता है: -

227 . यदि, मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने पर, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश यह मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वह आरोपी को आरोपमुक्त कर देगा और ऐसा करने के लिए अपने कारण दर्ज करेगा।

228.(1) यदि, उपरोक्त विचार और सुनवाई के बाद, न्यायाधीश की राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने एक अपराध किया है जो- (ए) विशेष रूप से विचारणीय नहीं है सत्र न्यायालय, वह आरोपी के खिलाफ आरोप तय कर सकता है और आदेश द्वारा मामले को सुनवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर सकता है और उसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनवाई की प्रक्रिया के अनुसार अपराध की सुनवाई करेगा। वारंट-मामले

239 . धारा 173 के तहत पुलिस रिपोर्ट और उसके साथ भेजे गए दस्तावेजों पर विचार करने और ऐसी जांच करने पर, यदि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझे और अभियोजन और आरोपी को सुनवाई का अवसर देने के बाद आरोपियों में से कोई भी आरोपी बन सके। मजिस्ट्रेट आरोपी के खिलाफ आरोप को निराधार मानता है, वह आरोपी को आरोपमुक्त कर देगा, और ऐसा करने का कारण दर्ज करेगा।

240 .(1) i(1) यदि,□ पर:hsuchisco व्युत्पन्न, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई, मजिस्ट्रेट की राय है कि यह मानने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के तहत विचारणीय अपराध किया है, जो इस प्रकार है मजिस्ट्रेट मुकदमा चलाने में सक्षम है और उसकी राय में उसे पर्याप्त सजा दी जा सकती है, इसलिए वह आरोपी के खिलाफ लिखित में आरोप तय करेगा।

2 2) फिर आरोप को पढ़ा जाएगा और अभियुक्त को समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या

एक पुलिस रिपोर्ट पर स्थापित, वह अपराध का दोषी मानता है (बी) विशेष रूप से आरोपित द्वारा विचारणीय है या मुकदमा चलाए जाने का दावा करता है। अदालत, वह आरोपी के खिलाफ लिखित रूप से आरोप तय करेगी।

(2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खंड (बी) के तहत कोई आरोप तय करता है, तो आरोप होगा

अभियुक्त को पढ़ा और समझाया जाएगा और अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या वह मुकदमा चलाने के दावों के लिए आरोपित अपराध को स्वीकार करता है।

उपरोक्त अनुभागों की आभासी पहचान न होने पर भी घनिष्ठ समानता इतनी स्पष्ट है कि किसी भी विस्तार की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कुछ समय बाद स्पष्ट संदर्भ की आवश्यकता होगी।

5. इस धारणा पर आगे बढ़ते हुए कि संहिता की धारा 319 स्थिति पर लागू नहीं होती है (पूरी तरह से तर्क के लिए), हमारे सामने यह माना गया कि वारंट मामले या अदालत में मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाने वाला कोई अन्य विशिष्ट प्रावधान नहीं है। सत्र संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट में मौजूद दस्तावेजों और सामग्रियों के आधार पर एक ऐसे व्यक्ति को उसके समक्ष मुकदमा चलाने के लिए बुलाएगा, जिसे जांच एजेंसी द्वारा विशेष रूप से आरोपी के रूप में नहीं भेजा गया है। ऐसी शक्ति निश्चित रूप से अपराध का संज्ञान लेने और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए उक्त मामले की सुनवाई करने वाले न्यायालय के तथ्य से आती है। इस संदर्भ में जो भी संदेह पहले उठाए गए थे, अब उनका समाधान रघुबंस दुबे बनाम बिहार राज्य (4) मामले में उनके आधिपत्य द्वारा निम्नलिखित शब्दों में किया गया है: -

"--- हमारी राय में, एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ले लिया गया है, तो वह अपराध का संज्ञान लेता है, अपराधियों का नहीं; एक बार जब वह किसी अपराध का संज्ञान लेता है तो यह उसका कर्तव्य है कि वह यह पता लगाए कि अपराधी वास्तव में कौन हैं और एक बार जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पुलिस द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, तो यह उसका कर्तव्य है उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए. अतिरिक्त अभियुक्त को तलब करना किसी अपराध का संज्ञान लेने से शुरू की गई कार्यवाही का हिस्सा है।-"

(4) ए. आई आरटी1967 एस.सी. 1167.

उपरोक्त से, यह अनम्य रूप से इस प्रकार है कि एक बार सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत, चाहे वह मजिस्ट्रेट हो या सत्र न्यायालय, अपराध का संज्ञान लेती है, पर्याप्त सामग्री के आधार पर किसी को भी बुलाना न केवल अदालत की शक्ति में है। प्रथम दृष्टया यह उक्त अपराध का दोषी है, लेकिन वास्तव में ऐसा करना इसका कर्तव्य है। उपरोक्त दृष्टिकोण हरेराम सत्पथी बनाम टीकाराम अग्रवाल और अन्य में दोहराया गया है, (5) मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय में हत्या के आरोप की प्रतिबद्धता के संदर्भ में,

जांच एजेंसी द्वारा व्यक्ति को आरोपी के रूप में नहीं भेजा गया, और, फिर से जोगिंदर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, (6)। इसलिए, ऐसा प्रतीत होता है कि एक वारंट मामले की सुनवाई करने वाले मजिस्ट्रेट के साथ-साथ एक सत्र न्यायालय ने एक बार पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराध का वैध रूप से संज्ञान लिया है (जब आरोप तय करने के लिए उसके सामने सामग्री पर विचार किया जाता है)। किसी व्यक्ति को उसके समक्ष मुकदमा चलाने के लिए आरोपी के रूप में बुलाने का न केवल हकदार बल्कि वास्तव में कर्तव्यबद्ध है, यदि वह एक अतिरिक्त आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व से पूरी तरह संतुष्ट है, जिसे इस तरह नहीं भेजा गया है।

6. .फिर से, यह हमारे सामने स्वीकृत स्थिति थी कि एक मजिस्ट्रेट जो वारंट मामले की सुनवाई कर रहा है, जब वह संहिता की धारा 239 और 240 के तहत आरोप तय करने के सीआईएच प्रश्न पर विचार कर रहा है, तो वह किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में, बिना रिकॉर्डिंग के बुला सकता है। साक्ष्य, यदि वह संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट के आधार पर संतुष्ट था, कि उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। इसी प्रकार, सत्र न्यायालय में एक आरोपी की प्रतिबद्धता के संबंध में संहिता की धारा 209 के तहत स्थिति समान थी, भले ही ऐसे व्यक्ति को जांच एजेंसी द्वारा आरोपी के रूप में नहीं भेजा गया हो। एक बार ऐसा होने पर, यह मानने का कोई औचित्य नहीं दिखता कि संहिता की धारा 227 और 228 के तहत समान और किसी भी मामले में समान शक्तियों के तहत (जैसा कि पहले ही उजागर किया गया है), सत्र न्यायालय को खारिज कर दिया जाएगा। किसी ऐसे अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाने का अधिकार, जिसे जांच एजेंसी ने नहीं भेजा हो या मजिस्ट्रेट ने प्रतिबद्ध न किया हो। वास्तव में, एक वरिष्ठ न्यायालय के रूप में, सत्र न्यायाधीश के पास समान स्थिति में मजिस्ट्रेट की तुलना में व्यापक शक्तियां नहीं तो समान होंगी और जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए। वास्तव में, विश्लेषण से पता चलता है कि संहिता की धारा 227 और 228 के तहत सत्र न्यायालय की शक्तियां, यदि समान नहीं हैं, तो काफी हद तक समान हैं।

(5) ए.आई.आर. 1978 एस. सी. 1568.

(6) ए.आई.आर. 1979 एस. सी. 339.

संहिता की धारा 239 और 240 के तहत मजिस्ट्रेट और अनिवार्य रूप से कानूनी स्थिति और परिणाम संभवतः भिन्न नहीं हो सकते। इस दृष्टिकोण को के.एस. तिवाना, जे. द्वारा अमर सिंह के मामले (सुप्रा) में निम्नलिखित शब्दों में विस्तृत किया गया है: -

“--नए कोड के तहत, मुक्ति की शक्ति

जो पहले मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया जाता था अब नए कोड की धारा 227 के तहत सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया जाता है। यह इस स्तर पर है कि सत्र न्यायाधीश आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए नई संहिता की धारा 173, 227 और 228 में उल्लिखित रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर अपना चेतन मन लगाता है।

नई संहिता द्वारा किसी 'मामले' का संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान की गई है। नई संहिता की धारा 209 के कारण अब इस शक्ति का प्रयोग मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जा सकता है। यदि सत्र न्यायाधीश को इस शक्ति से वंचित कर दिया जाता है, तो इससे न्यायालयों के स्थान पर स्वयं अपराधियों के अपराध या निर्दोषता का निर्धारण करने में जांच एजेंसी को बेलगाम शक्तियां मिलने की संभावना है। यदि किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को गलत या अनावश्यक कारणों से जांच एजेंसी द्वारा छोड़ दिया जाता है, तो उसके खिलाफ कोई उपाय नहीं होगा यदि याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अजमेर सिंह की दलील स्वीकार कर ली जाए, सिवाय शिकायत के। पीड़ित पक्ष. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि कोई शिकायतकर्ता शिकायत दर्ज करने के लिए न हो, या यदि कोई हो, तो वह न्यायालय का रुख करना पसंद न करे। इस तरह की प्रतिबंधित व्याख्या जैसा कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 1977 के क्रिमिनल लॉ जर्नल 415 में की है, सत्र न्यायालय में नहीं रखी जा सकती। नया कोड न्यायालयों को 'मामलों' के संज्ञान का अधिकार देता है न कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध संज्ञान का। किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में आरोपी के रूप में बुलाने की शक्ति विशेष रूप से न्यायालय को नहीं दी गई है, लेकिन यह किसी अपराध से जुड़े मामलों के संज्ञान से आती है।

उपरोक्त कारणों से, पतनानचला चीन लिंगैया के मामले (सुप्रा) का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीश के प्रति उचित सम्मान के साथ, मैं उस मामले में आए निष्कर्षों को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। एक सत्र न्यायाधीश, इस न्यायालय को सौंपे गए मामले में, जांच एजेंसी द्वारा छोड़े गए अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को समन कर सकता है, जिसके खिलाफ,

उनके विचार में, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सामग्री है।''

उपरोक्त दृष्टिकोण विद्वान न्यायाधीश द्वारा रणधीर सिंह बनाम काला सिंह और अन्य, (7) के बाद के फैसले में दोहराया गया है।

7. इस क्षेत्राधिकार के भीतर, मामला एक मिसाल के आधार पर परीक्षण की मांग करता है, जिसे याचिकाकर्ताओं की ओर से कभी भी कोई चुनौती नहीं दी गई। सूरत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (8) में एक डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से माना है कि कोड की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट के आधार पर कमिटिंग मजिस्ट्रेट के पास पुलिस के निष्कर्ष से अलग होने और निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र है। जिस अभियुक्त को सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया और जिसका उल्लेख उसके कॉलम नंबर 2 में किया गया है, उसे भी बुलाया जाना चाहिए और प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए। इसकी धारा 209 के तहत सत्र न्यायालय। उपरोक्त दृष्टिकोण हरेराम सत्पथी के मामले (सुप्रा) की निश्चित नींव पर आधारित था और यह था

इस कारण याचिकाकर्ताओं की ओर से इन निर्णयों की जरा भी आलोचना नहीं की गई। इसलिए, सूरत सिंह के मामले (सुप्रा) में मूल आधार पर आगे बढ़ते हुए, यह मानना पूरी तरह से असंगत लगता है कि सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय मामले में मजिस्ट्रेट अंतिम रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में बुला सकता है। संहिता की धारा 173 के तहत और उसे मुकदमे के लिए सौंप दिया जाएगा, फिर भी वरिष्ठ सत्र न्यायालय, जो अपराध का संज्ञान लेता है और उसे मुकदमा चलाना है, को ऐसा करने से पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। यदि यहां कोई भी भेद उत्पन्न होता है, तो शायद यह कहा जा सकता है कि सत्र न्यायालय की शक्तियां मजिस्ट्रेट की शक्तियों से अधिक व्यापक हैं, लेकिन इसके विपरीत यह कहें कि कुछ हद तक समान स्थिति में और अंतिम रिपोर्ट में समान सामग्रियों पर, सेशन कोर्ट क्या नहीं कर सकता. मजिस्ट्रेट को दोषी ठहराना निःसंदेह मुझे कुछ ऐसा लगता है, जो स्पष्ट रूप से अस्थिर है। यहां तक कि प्रक्रियात्मक प्रावधानों के बावजूद, बड़े सिद्धांत पर भी, किसी को किसी व्यक्ति को अतिरिक्त आरोपी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए बुलाने से सत्र के वरिष्ठ न्यायालय की शक्तियों को रोकने और बाध्य करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखता है, जब उसके समक्ष सामग्री पर वह संतुष्ट है कि उसके खिलाफ कोई निर्णायक या किसी भी मामले में प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है। एक पेटेंट उदाहरण तब होगा जब जांच अधिकारी संहिता की धारा 173 के तहत अपनी रिपोर्ट में बिना किसी कारण या आधार के विशेष रूप से नामित व्यक्ति को दोषमुक्त कर देता है।

(7) 1979 पी.एल.आर. 286.

(8) 1981 छ.ग. एल.आर. 547.

प्रथम सूचना रिपोर्ट और सभी चश्मदीदों द्वारा संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयानों में। वर्तमान मामले में एक उदाहरण प्रासंगिक रूप से प्रदान किया गया है जहां सत्र न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि लाल चंद आरोपी का नाम पहली सूचना रिपोर्ट में और चश्मदीदों द्वारा भी दिया गया था, फिर भी उसे आरोपी के रूप में नहीं भेजा गया था। व्यक्ति ने केवल बहाने की दलील पर पुलिस के समक्ष बचाव के तौर पर खुद को खड़ा करने की मांग की। इस प्रकृति के अन्य उदाहरणों को कई गुना बढ़ाया जा सकता है और उन्हें अमर सिंह के मामले (सुप्रा) में संदर्भित किया गया है। ऐसी स्थिति में, यदि जांच एजेंसी किसी आरोपी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दोषमुक्त कर देती है और परिणामस्वरूप मजिस्ट्रेट उसे दोषी नहीं ठहराता है, तो सत्र न्यायालय स्वयं ऐसे अपराधी को शुरुआती चरण में ही कटघरे में खड़ा करने के लिए शक्तिहीन हो जाएगा। मेरी राय में, मुक़दमे से न्याय को आगे बढ़ाने के बजाय केवल बाधा पहुंचेगी। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यहां हम प्रक्रियात्मक प्रावधानों का अर्थ लगा रहे हैं और यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रक्रिया न्याय की दासी है और इसे इसमें बाधा के रूप में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए निर्माण के बड़े सिद्धांत पर क़ानून को संकीर्ण रूप से परिभाषित करने के लिए कोई तर्क नहीं प्रतीत होता है ताकि सत्र न्यायालय को किसी व्यक्ति को अपने मुकदमे में खड़े होने के लिए बुलाने की शक्ति से वंचित किया जा सके, भले ही वह प्रथम दृष्टया मामले के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो। उस पर

अंतिम रिपोर्ट में सामग्री के आधार पर, जो कि प्रतिबद्ध अभियुक्त के खिलाफ धारा 228 के तहत आरोप तय करने या उसे संहिता की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त करने के लिए पर्याप्त रूप से पर्याप्त है।

8. इंगित किए जाने पर भी, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील एक संकुचित निर्माण को प्रचारित करने के लिए किसी भी पर्याप्त तर्क को आगे बढ़ाने में असमर्थ रहे, जिससे ऊपर देखे गए कुछ हद तक असामान्य परिणाम सामने आए। इस संदर्भ में उनके द्वारा दिया गया एकमात्र तर्क यह था कि सत्र न्यायालय को संहिता की धारा 193 के तहत कथित रोक के कारण अतिरिक्त अभियुक्तों को बुलाने से प्रतिबंधित किया गया था।

9. इसलिए, कोई इस रुख की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है कि सत्र न्यायालय को धारा 193 के प्रावधानों के कारण संहिता की धारा 227 और 228 के तहत अतिरिक्त आरोपियों को बुलाने से रोक दिया गया है। यह पहलू स्पष्ट रूप से संहिता की पिछली धारा 193 और उसमें नई संहिता में लाए गए बदलाव के आलोक में जांच की मांग करता है। इसलिए, यह आवश्यक है

पुराना कोड	नया कोड
एस. 193 (1) इस संहिता या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, कोई भी सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि आरोपी मजिस्ट्रेट को विधिवत अधिकार न दिया जाए। उस ओर से इसके लिए प्रतिबद्ध किया गया है।	एस. 193. इस न्यायालय द्वारा या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, कोई भी सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा
(2)*	

दोनों प्रावधानों की तुलना करें:-

उपरोक्त से नई संहिता में लाया गया महत्वपूर्ण परिवर्तन स्पष्ट है। पहले के प्रावधानों में, आवश्यकता यह थी कि आरोपी को मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय में सुपुर्द किया जाना चाहिए। विधायिका ने जानबूझकर 'अभियुक्त' शब्द को हटाकर एक बदलाव किया और इसके बजाय यह प्रावधान किया कि 'मामला' सत्र न्यायालय को सौंपा जाना चाहिए था। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उपरोक्त परिवर्तन के कारण (और इसे पहले भी यही समझा गया था) इस सामग्री में याचिकाकर्ताओं की ओर से रुख दोगुना अस्थिर है। जैसा कि रघुबंस दुबे के मामले (सुप्रा) में अंतिम न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर व्याख्या की गई है और विशेष रूप से अब संहिता की धारा 193 में बदलाव के मद्देनजर, सत्र न्यायालय समग्र रूप से अपराध के मामले का संज्ञान लेता है और इसलिए, किसी भी व्यक्ति को उसके सामने मुकदमा चलाने के लिए बुलाने का अधिकार है, जो उसके समक्ष सामग्री के आधार पर ऐसे अपराध का दोषी प्रतीत होता है। उजागर करने के लिए, मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को जो सौंपा गया है वह मुकदमा या अपराध है, न कि व्यक्तिगत अपराधी। अन्यथा मानना एक बार फिर इस भ्रांति को दोहराना होगा कि संज्ञान व्यक्तिगत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लिया जाता है, अपराध के रूप में नहीं। धारा 193 के तहत कानून अब जो कल्पना और प्रावधान करता है वह यह है कि अपराध का गठन करने वाली पूरी घटना को सत्र न्यायालय द्वारा प्रतिबद्धता पर संज्ञान लिया जाना चाहिए, न कि यह कि प्रत्येक व्यक्तिगत अपराधी को ऐसा प्रतिबद्ध होना चाहिए या यदि ऐसा है तो ऐसा नहीं किया गया तो सत्र न्यायालय उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में शक्तिहीन हो जाएगा जिनके बारे में वह पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है कि वे प्रथम हैं

*अपराध का भी दोषी प्रतीत होता है। इसलिए, यह तर्क कि सत्र न्यायालय द्वारा एक अतिरिक्त अभियुक्त को बुलाना धारा 193 6एफ का उल्लंघन है

दोनों दोस्ती की तुलना करें:-

पुराने से नए कोड में लाया गया महत्वपूर्ण परिवर्तन स्पष्ट है। पहले के म्युचुअल में, आवश्यकता यह थी कि मजिस्ट्रेट को सत्रह कोर्ट में प्रवेश दिया जाए। प्रियंका ने 'अभियुक्त' शब्द को एक संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया और इसके स्थान पर यह प्रस्ताव रखा कि 'मामला' सत्रह न्यायालय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से होता है कि ऊष्मीय परिवर्तन का कारण (और इसे पहले भी यही समझा गया था) यह सामग्री उत्पादों की ओर से तेजी से दोगुनी अस्थिर है। जैसा कि रघुबंस जुए के मामले (सुप्रा) में अंतिम न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर व्याख्या की गई है और विशेष रूप से अब संहिता की धारा 193 में बदलाव के विचार, सत्र न्यायालय समग्र रूप से अपराध के मामले का मानदंड स्थापित करता है और इसलिए, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति को उसके सामने मुकदमा दायर करने का अधिकार है, जो उसकी सामग्री के आधार पर ऐसे अपराध का आरोप लगाता है। परामर्श के लिए, मजिस्ट्रेट द्वारा सत्रह न्यायालय को खारिज कर दिया गया है कि वह मुकदमा या अपराध है, न कि व्यक्तिगत अपराध। अन्यथा फेल एक बार फिर से इस भ्रांति को दोहराना होगा कि सामूहिक व्यक्तिगत बोलचाल के खिलाफ लिया गया है, अपराध के रूप में नहीं। धारा 193 के तहत कानून अब जो कल्पना और प्रस्ताव करता है वह यह है कि अपराध का गठन करने वाली पूरी घटना को सत्र न्यायालय द्वारा फिर से दोहराया जाना चाहिए, न कि यह कि प्रत्येक व्यक्तिगत अपराध को ऐसा होना चाहिए या यदि ऐसा है तो ऐसा नहीं किया गया तो सत्रह कोर्ट में उन लोगों के खिलाफ बहस करने वाले शक्तिहीन हो सकते हैं जहां वह पूरी तरह से इस तरह से अपमानित हो सकते हैं कि वे पहले हैं

*अपराध का भी आभास होता है। इसलिए, यह तर्क है कि सत्र न्यायालय द्वारा एक अतिरिक्त आरोपी को धारा 193 6एफ का उल्लंघन किया जाता है

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

यह रुख अजायब सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (11), हरजीराम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (12), और चौथमल और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (13) के निर्णयों द्वारा समर्थित है। हालाँकि, श्योराम सिंह और अन्य बनाम राजस्थान राज्य (14) में एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया है।

12. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि इस बिंदु पर न्यायिक राय में कुछ विरोधाभास है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैंने खुद को मुख्य रूप से गोडे की धारा 227 और 228 के प्रावधानों पर निर्भर किया है, संहिता की धारा 319 के तहत इस विवाद में शामिल होना पूरी तरह से अनावश्यक है। इसलिए, मैं इस विशिष्ट बिंदु पर कोई भी राय व्यक्त करने से बचूंगा।

13. निष्कर्ष निकालने के लिए यह माना जाता है कि सत्र न्यायालय, साक्ष्य दर्ज किए बिना, जांच अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट में दस्तावेजों के आधार पर एक अतिरिक्त आरोपी को पहले से ही प्रतिबद्ध अन्य लोगों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुला सकता है। धारा 173, संहिता की धारा 227 और 228 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए।

14. महत्वपूर्ण सामान्य प्रश्न का उत्तर ऊपर दिए जाने के बाद, सभी चार मामले अब संबंधित पीठों के समक्ष योग्यता के आधार पर निर्णय के लिए जाएंगे।

5. एस. कांग, जे.-मैं सहमत हूं।

एन.के.एस.

पूरी बेंच

पी. सी. जैन से पहले, कार्यवाहक सी.जे., एस. पी. गोयल और जी. सी. मितल, जे.जे.

मनोहर लाल,-याचिकाकर्ता,

बनाम

पंजाब राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या, 1982 की 2903।

26 मई 1983.

भारत का संविधान 1950—अनुच्छेद 226—औद्योगिक विवाद अधिनियम (XIV

*/ 1947)—धारा 10(1)—कर्मचारी की सेवाएँ समाप्त–कर्मचारी

(llJP (1978) 28 I.L.R. राज. 14.

(12) (1979) 29 आई.एल.आर. राज. 662.

(13) 1982 करोड़. एल.जे. 1403.

(14) 1982 करोड़. एल.आर. राज. 637.

स्थानीय : भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है तांकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और कसी अन्य उददेश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उददेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्यवन के उददेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

अर्शवीर कौर संधू
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा